# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–189 / 2020 — दायर दिनांक: 17.01.2020

GCMS NO:- 2020/00013

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. बद्रीनारायण आ0 बंशीधर जाति ब्राम्हण निवासी दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी ।

–प्रार्थी–

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह आ0 स्व0 महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. दौलतकंवर विधवा पत्नी महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. रमेशचन्द आ0 सांवला जाति महाजन निवासी दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. कैलाशचन्द आ0 सांवला जाति महाजन निवासी दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 10.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम दुगारी पटवार मण्डल दुगारी तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी के खातेदारी की खाता संख्या 374 के खसरा संख्या 2041, 2042, 3544, 3547 कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि खसरा संख्या 3548 भूमि अप्रार्थीगण 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी की है। यह कि प्रार्थना की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी की अपनी भूमि खसरा संख्या 3547 में आने जाने का रास्ता दुगारी से बांसी जाने वाले मुख्य डामर सडक के पश्चिमी ओर स्थित अप्रार्थीगण की भूमि से होता हुआ जाता इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीगण अपने खातेदारी के खेत खसरा संख्या 3547 पर खसरा संख्या 3538, 3539, 3540,3541 की भूमियों में से खसरा संख्या 3524 सिवायचक गे0मु0 मौरी के सहारे उत्तरी साईड पर स्थित वर्षों दराज पुराने 12 फिट चौडे रास्ते से निकल कर खसरा संख्या 3542, 3545 से होते हुए खसरा संख्या 3547 पर पहुंचते है। यह रास्ता निर्बाध चालू है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। [illegible] प्राप्त की गई। जिसके अनुसार

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैन[illegible] अन्य सीधा एवं सुगम रास्ता का प्रार्थीगण की भूमि तक पहुँचने के लिए प्र[illegible] रकबा 112.2 फिट • 13. विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए [illegible] यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्श[illegible] लाल 2 फिट = 1481.04 वर्ग फिट भूमि दिया जाना उचित होगा। [illegible] स्याही से दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 16:08:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)





Scanned with CamScanner

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट दुगारी में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम दुगारी पटवार मण्डल दुगारी तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी के खातेदारी की खाता संख्या 374 के खसरा संख्या 2041, 2042, 3544, 3547 कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए भूमि खसरा संख्या 3548 में से रकबा 112.2 फिट • 13.2 फिट = 1481.04 वर्ग फिट भूमि, जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 16:08:44 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner